

कला दीर्घा आरक्षण हेतु आवेदन-पत्र
Application For Reservation Of Art Galleries

1. आवेदक का नाम / संस्था
Name of Applicant/Organization
2. पता / Address
3. दूरभाष / Phone No. मोबाईल नं. / Mobile No.
4. ई-मेल / E-Mail
5. आवेदक की श्रेणी / Category एकल Solo समूह Group सरकारी Government व्यावसायिक Commercial
6. संस्था रजिस्टर्ड है अथवा नहीं
Society Registered/Not Registered नहीं / No हाँ / Yes यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें / If Yes, Submit Certificates
7. आरक्षण हेतु चाही गई दीर्घा
Desired Gallery for Reservation चतुर्दिक Chturdik सुरेख Surekh सुकृति Sukriti सुदर्शन Sudershan
 पारिजात-I Parijat I पारिजात-II Parijat II
8. आरक्षण तिथि / समय
Reservation Date/Time तिथि Date से To
9. प्रदर्शनी का विवरण
Detail of Exhibition
10. आवेदक का बायोडाटा मय तीन कृतियों के छायाचित्र
Bio Data of Applicant With 3 Photos of Work
11. यदि प्रदर्शनी प्रायोजित है तो प्रायोजकों के नाम
If sponsored, Specify Sponsor's Name
12. डिमाण्ड ड्राफ्ट / चैक संख्या / आईएफएससी नंबर
एवं बैंक का नाम Demand Draft/Cheque No.
with IFSC No. & Bank Name

दिनांक / Date :-

कलाकार / संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय
संस्था की सील
Signature with Seal of Artist/Organisation or
Institution Head

आरक्षण की सामान्य शर्तें/दिशा निर्देश

- ❖ दीर्घा आवेदन पत्र के साथ ही निर्धारित शुल्क नकद, चैक, डी.डी. जो कि अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र के नाम देय हो जमा करवाना आवश्यक है।
- ❖ कला दीर्घा की दीवारों पर गोंद/टेप चिपकाना, कील आदि ठोकना सर्वथा वर्जित है। प्रदर्शनी से संबंधित पोस्टर/बैनर निर्धारित स्थल पर ही लगायें जावें।
- ❖ दीवारें खराब होने की स्थिति में आवंटी से उसका हर्जाना वसूल किया जायेगा।
- ❖ विशेष परिस्थिति में केन्द्र द्वारा दीर्घा आवंटन निरस्त या समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
- ❖ प्रदर्शनी से पूर्व केन्द्र में लाई जाने वाली समस्त सामग्री की सूची सुरक्षा अधिकारी को जमा करानी होगी एवं उसी सूची की दूसरी प्रति पर प्रदर्शनी के अंतिम दिन अपने निजी सामान यथा पेंटिंग आदि ले जाने हेतु गेट पास कार्यालय समय में ही प्राप्त करना अनिवार्य है। गेट पास न होने की स्थिति में सामान नहीं ले जाने दिया जायेगा।
- ❖ आवंटन किये जाने के पश्चात् आरक्षण निरस्त किये जाने पर संबंधित संस्था की जमा राशि में से 15 दिन पूर्व तक आरक्षण रद्द करने पर 10 प्रतिशत, 15 दिन से लेकर कार्यक्रम से 24 घंटे पूर्व तक 20 प्रतिशत तत्पश्चात् 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी।
- ❖ केन्द्र की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी एवं जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ❖ प्रदर्शनी हेतु प्रदर्शनी से सम्बन्धित सभी सामग्री कलाकार/संस्था को स्वयं अपने साथ लानी होगी।
- ❖ कार्यक्रम/प्रदर्शनी करने वाली संस्थान/कलाकार अतिरिक्त समय हेतु कार्यक्रम बढ़ाना चाहती है तो इसकी लिखित सूचना कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित समय से तीन दिन पहले देनी होगी जिसका निर्णय महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
- ❖ केन्द्र परिसर में धूमपान करना निषेध है। आयोजक संस्था को कार्यक्रम का विवरण केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।
- ❖ आयोजक संस्था को कार्यक्रम में पधारने वाले विशिष्ट अतिथिगणों की सूचना यथोचित समय पर केन्द्र को देनी होगी, ताकि प्रोटोकॉल नियमों का पालन किया जा सके।
- ❖ किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। केन्द्र का कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण निरस्त/आरक्षण तिथि में परिवर्तन केन्द्र स्तर पर किया जा सकेगा।
- ❖ केन्द्र परिसर एवं आयोजन अवधि में प्लास्टिक निर्मित कैरी बैग/थैलियाँ/कप-ग्लास आदि का उपयोग करना वर्जित है। यदि इनका उपयोग किया जाता है तो सरकारी नियमानुसार जुर्माना एवं दण्ड लागू होंगे। साथ ही आयोजन निरस्त कर अथवा सुरक्षा राशि जब्त कर आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति को हमेशा के लिए काली सूचीबद्ध (Black Listed) कर दिया जायेगा।

संस्था/मैं उपरोक्त नियम व शर्तों का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी। शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में संस्था/मेरा आवंटन निरस्त करने का अधिकार केन्द्र को होगा तथा केन्द्र द्वारा संस्था/मेरे विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

कलाकार/संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय संस्था की सील

वचन बद्धता (UNDERTAKING)

मैं की
ओर से दिनांक से तक जवाहर कला केन्द्र में
आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में
आयोजक संस्था की ओर से निम्नानुसार वचन बद्धता (UNDERTAKING) प्रस्तुत करता हूँ :-

1. यह कि आरक्षित स्थल पर व्यवस्था व अनुशासन की जिम्मेदारी स्वयं आयोजनकर्ता की होगी।
2. यह कि प्रदर्शनी स्थल पर जाति, लिंग, अश्लीलता, भेद-भाव, धार्मिक भावनाओं एवं संवैधानिक मूल्यों/अधिकारों को आहत या ठेस पहुंचानों वाली कृतियों का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा तथा इस विषय में किसी भी विवाद हेतु आयोजक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. यह कि केन्द्र के प्रदर्शन स्थल पर जवाहर कला केन्द्र परिसर में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा तोड़-फोड़ की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की ही रहेगी।
4. यह कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी प्रदर्शनकर्ता स्वयं द्वारा निर्वहन किया जायेगा।
5. कला दीर्घाओं में कलाकृतियों के प्रदर्शन से पूर्व कार्यक्रम अधिकारी (दृश्यकला) के द्वारा अवलोकन कर लिए जाने के उपरान्त ही कार्यक्रम अधिकारी की सहमति के अनुसार ही कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जायेगा।
6. केन्द्र का कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण निरस्त/आरक्षण तिथि में परिवर्तन केन्द्र स्तर पर किया जा सकेगा।

आयोजककर्ता के हस्ताक्षर
मय नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर

.....
.....
.....
.....
.....

अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशा.),
जवाहर कला केन्द्र,
जयपुर।

विषय :- सुरक्षा राशि लौटाने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग/संस्था/आवेदक

..... द्वारा केन्द्र में दिनांक
..... से तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। प्रदर्शनी आयोजन हेतु
आरक्षण राशि के साथ सुरक्षा राशि रू0 1,500/- अथवा 3,000/- (दोनों में जो भी लागू हो) प्रदर्शनी आयोजन
किये जाने की अनुमति/अनुमोदन प्राप्त होने पर यथा समय जमा करवा दी जायेगी।

यदि प्रदर्शनी आयोजन के दौरान आरक्षण शर्तों के विरुद्ध कार्य करने अथवा कला दीर्घा या केन्द्र सम्पती
को नुकसान पहुँचता है तो उपर्युक्त अंकित विभाग/संस्था/आवेदक की जमा सुरक्षा राशि जब्त किये जाने अथवा
जमा सुरक्षा राशि में से कटौती किये जाने पर उपर्युक्त विभाग/संस्था/आवेदक अपनी सहमति प्रदान करता है।

यदि प्रदर्शनी आयोजन के दौरान आरक्षण शर्तों की ठीक प्रकार से पालना की जाती है और कला दीर्घा या
केन्द्र सम्पती को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचता है तो उपर्युक्त विभाग/संस्था/आवेदक द्वारा जमा कराई
गई सुरक्षा राशि रू0 1,500/- अथवा 3,000/- (दोनों में जो भी लागू हो) निम्नलिखित विवरणानुसार बैंक खाते
में स्थानान्तरित करने का श्रम करावें :-

Account Holder's Name :-

Bank Name :-

Account No. :-

IFSC Code No. :-

Branch Name :-

प्रार्थी

दिनांक :-

(.....)
विभाग/संस्था/आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

मो. नं.